

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 336/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय एम्ब्रीशन टॉवर, ऑफिस नम्बर 307-312, थर्ड
फ्लोर, अग्रसेन सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जंगशेर खान।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री अटल विहारी मेठी पुत्र श्री गजानंद मेठी
पता :- 1 मकान नम्बर 112, मेठी भवन, भूखमारियो का मोहल्ला, चौमू, त्रिपोलिया, जयपुर।
2. प्लाट एट वार्ड नम्बर-12, भूखमारियो को मोहल्ला, चौमू, रावन गेट, जयपुर।
2. श्री गजानंद मेठी पुत्र बद्रीनारायण मेठी
पता :- 1. नया बाजार, भूखमारियो का मोहल्ला, मेठी भवन, वार्ड नम्बर 12, चौमू, त्रिपोलिया
जयपुर।
2. प्लाट एट वार्ड नम्बर-12, भूखमारियो को मोहल्ला, चौमू, रावन गेट, जयपुर।
3. श्री संजय मेठी पुत्र श्री गजानंद मेठी
पता :- 1 मकान नम्बर 112, मेठी भवन, भूखमारियो का मोहल्ला, चौमू, त्रिपोलिया, जयपुर।
2. प्लाट एट वार्ड नम्बर-12, भूखमारियो को मोहल्ला, चौमू, रावन गेट, जयपुर।
4. मैसर्स खण्डेलवाल ट्रेडर्स जरिये प्रोपराईटर श्रीमती रिकू
पता सब्जी मण्डी रोड, चौमू, त्रिपोलिया, जयपुर।
5. श्रीमती रिकू पत्नी श्री संजय मेठी
पता :- 1. मकान नम्बर 112, मेठी भवन, नया बाजार, भूखमारियो का मोहल्ला, चौमू, त्रिपोलिया
जयपुर।
2. प्लाट एट वार्ड नम्बर-12, भूखमारियो को मोहल्ला, चौमू, रावन गेट, जयपुर।
6. श्रीमती तारा देवी पत्नी गजानंद मेठी
पता :- 1. मकान नम्बर 112, मेठी भवन, भूखमारियो का मोहल्ला, चौमू, त्रिपोलिया जयपुर।
2. प्लाट एट वार्ड नम्बर-12, भूखमारियो को मोहल्ला, चौमू, रावन गेट, जयपुर।



अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

1. श्री अविनाश कुम्भज अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 04.02.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.02.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री गजानंद मेठी पुत्र बद्दीनारायण मेठी के स्वामित्व की सम्पत्ति वार्ड नम्बर 12 पर प्लाट, भूखमारियों का मोहल्ला, चौमू रावन गेट, जिला जयपुर स्थित क्षेत्रफल 340 वर्ग गज को बन्धक रख कर 15,00,000/-रुपये एवं 22,00,000/-रुपये कुल 37,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 23 जून 2010 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल 37,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 32,88,156/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.09.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त नोटिस दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष अप्रार्थी श्री गजानंद मेठी पुत्र बद्दीनारायण मेठी के स्वामित्व की सम्पत्ति वार्ड नम्बर 12 पर प्लाट, भूखमारियों का मोहल्ला, चौमू रावन गेट, जिला जयपुर स्थित क्षेत्रफल 340 वर्ग गज




तक
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 04.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



4/2/21
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर